

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

—: अधिसूचना :-  
शुद्धि पत्र

सं0सं0-04 / HFA-18/16

७७)

दिनांक-२१-३-१७

नगर विकास एवं आवास विभाग का अधिसूचना सं0-23 दिनांक-09.01.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में "पटना आयोजना क्षेत्र" के सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी)" लागू करने का निर्णय अधिसूचित किया गया था।

सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि पटना आयोजना क्षेत्र के 575 ग्रामीण प्रशासनिक इकाईयों में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजना का घटक "ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (Credit linked Subsidy Scheme)" वर्तमान में लागू होगी। पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-23 दिनांक-09.01.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-04 / HFA-18/16

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-04 / HFA-18/16

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, बुडा/निदेशक, बुडको/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-04 / HFA-18/16

७७)

पटना, दिनांक-

२१-३-१७

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली /संयोजक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, गाँधी मैदान/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2017  
प्रधान सचिव।